भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1862
जिसका उत्तर बुधवार, 03 अगस्त, 2016 को दिया जाना है

मंत्रालय की उपलब्धियां

1862. श्री सी. एम. रमेश:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों में मंत्रालय की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या मंत्रालय की गत दो वर्षों की उपलब्धियों के बारे में प्रधान मंत्री के समक्ष कोई प्रस्तुतीकरण किया गया;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) मंत्रालय कहां-कहां अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाया है और कहां-कहां उसने उत्कृष्ट कार्य किया है;
(ङ) आगामी तीन वर्षों हेतु निर्धारित किए गए लक्ष्य तथा उन्हें प्राप्त करने की रूपरेखा क्या है;
(च) प्रधान मंत्री के समक्ष उल्लिखित कठिनाइयों और उन्हें दूर करने हेतु दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है; और
(छ) मंत्रालय द्वारा आगामी तीन वर्षों में ध्यान दिए जाने वाले महत्वपूर्ण क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क): भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में दो विभाग, भारी उद्योग विभाग (डीएचआई) और लोक उद्यम विभाग (डीपीई) हैं। इन दोनों विभागों की पिछले दो वर्षों में उपलब्धियों का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ख) और (ग): जी, नहीं। तथापि, इस मंत्रालय से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यकलापों/मामलों के संबंध में हुई प्रगति/उपलब्धियों का ब्यौरा मंत्रालय द्वारा समय-समय पर प्रधानमंत्री कार्यालय और मंत्रिमंडल सचिवालय को भेजा जाता है।

(घ): जी, नहीं। मंत्रालय अपने लक्ष्यों को पूरा करने में कभी पीछे नहीं रहा है और वे क्षेत्र जिनमें मंत्रालय ने उत्कृष्ट कार्य किया है, का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ङ): मंत्रालय कार्पोरेट अभिशासन, निष्पादन मूल्यांकन, मानव संसाधन प्रबंधन, अनुसंधान और विकास आदि के माध्यम से केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसईज) (अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 31 उद्यमों सहित) के प्रबंधन और निष्पादन में लगातार सुधार हेतु कार्य कर रहा है ताकि इन उद्यमों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि की जा सके। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय तीन कोर सेक्टरों अर्थात् केपिटल गुड्स सेक्टर, ऑटोमोटिव सेक्टर और इलेक्ट्रिकल उपकरण उद्योग का विकास और वृद्धि सुनिश्चित करने पर भी ध्यान देता है।

(च): प्रश्न नहीं उठता।

(छ): उपर्युक्त पैरा (ङ) के अनुसार।

****

अनुबंध

भारी उद्योग विभाग की उपलब्धियां

(क) ऑटोमोटिव उद्योग

1. **फेम इंडिया स्कीम:** इस विभाग ने विश्वसनीय, वहनीय और कुशल इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों (एक्सईवी) के क्रमिक प्रवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए फेम-इंडिया (भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण) नामक स्कीम 2 वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए 01 अप्रैल, 2015 से अधिसूचित की है। यह स्कीम सरकार की ग्रीन पहलों में से एक है जिसका उद्देश्य संचयी ईंधन बचत लगभग 9500 मिलियन लीटर (2020 तक ₹60000 करोड़ से अधिक मूल्य) करना है।

   इस स्कीम का प्रयोजन ऐसी क्लीनर इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकियों जिनमें कम हाइब्रिड, पूर्ण हाइब्रिड वाहनों (एचईवी), प्लग इन हाइब्रिड (पीएचईवी) और पूर्णतः इलेक्ट्रिक वाहन (पीईवी) (सामूहिक रूप से एक्सईवी के नाम से ज्ञात) शामिल हैं, के तीव्र अंगीकरण (बाजार सृजन एवं संबद्ध क्रियाकलापों), स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास (अनुसंधान एवं विकास) तथा विनिर्माण को बढ़ावा देना जिससे भारत में एक मजबूत, वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी, अर्थक्षम और आत्मनिर्भर इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग और इसका पारिस्थितिकी तंत्र सृजित किया जा सके। यह एक मुख्य पहल है जो ईंधनों के प्रयोग के कारण पर्यावरण संबंधी चिंताओं को कम करेगी।

2. **ऑटोमोटिव मिशन प्लान (2016-26)**

   - ऑटोमोटिव मिशन प्लान 2016-26 का वीजन

     "2026 तक, भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग वाहनों तथा कलपुर्जों की इंजीनियरिंग, विनिर्माण तथा निर्यात में विश्व के शीर्ष तीन देशों में होगा और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 12% से ज्यादा की वृद्धि और 65 मिलियन अतिरिक्त रोजगार सृजित करते हुए वैश्विक मानकों की तुलना में भारत में लोगों तथा सामान की वहनीय आवाजाही के लिए सुरक्षित, कुशल और पर्यावरणानुकूल स्थितियां होंगी।"

   - एएमपी 2026 की मुख्य विशेषताएं:
     - भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग एक शीर्ष रोजगार सृजक होगा- 65 मिलियन अतिरिक्त रोजगार।
     - भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग विनिर्माण सेक्टर तथा "मेक इन इंडिया" कार्यक्रम का मुख्य चालक होगा।
     - भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग का उद्देश्य वाहनों तथा कलपुर्जों के निर्यात में क्रमशः 5 गुना तथा 7.5 गुना वृद्धि करना है।
     - एएमपी 2026 की सफलता के लिए, ऑटोमोटिव सेक्टर हेतु एक समन्वित एवं स्थिर नीतिगत व्यवस्था की आवश्यकता है।
     - विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता को कायम रखने और इसमें सुधार करने तथा पर्यावरण एवं सुरक्षा की चुनौतियों का समाधान करने के लिए विशिष्ट उपायों की परिकल्पना की गई है।
     - एएमपी 2016-26 का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा करवाए जाने का प्रस्ताव है।

<u>नेट्रिप</u>

3. राष्ट्रीय मोटर वहन परीक्षण अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना परियोजना (नेट्रिप) में 31 दिसंबर, 2014 तक ₹2288.06 करोड़ के कुल निवेश से भारत में भारत में विश्वस्तरीय ऑटोमोटिव परीक्षण तथा होमोलोगेशन सुविधाओं की स्थापना करने की परिकल्पना की गई है। तथापि, अनेक कारणों से यह परियोजना रूक गई है जिसके फलस्वरूप इसकी समय सीमा और लागत बढ़ गई है, संविदागत मामलों में न्यायालय में मुकदमे चल रहे हैं तथा अन्य महत्वपूर्ण मामले भी हैं। विभाग और नेट्रिप के प्रयासों से, विगत दो वर्षों के दौरान महत्वपूर्ण मामलों को सुलझा लिया गया है, ₹740 करोड़ के ठेके दे दिए गए हैं। नैट्रिप परियोजना वापस पटरी पर आ गई है तथा केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने ₹3700 करोड़ की संशोधित अनुमानित लागत से नैट्रिप परियोजना को 1 जनवरी, 2015 से दिसंबर, 2017 तक बढाने का अनुमोदन दे दिया है। नैट्रिप ने विभिन्न केन्द्रों में निम्नलिखित सुविधाएं पूरी कर ली हैं-:

<u>*पावर ट्रेनः</u>

क) एआरएआई, पुणे में दुपहिया, तिपहिया और चौपहिया वाहनों के लिए माइलेज एक्यूमुलेशन चेसिस डायनेमोमीटर (एमएसीडी)

ख) एआरएआई, पुणे और आईकैट, मानेसर में हल्के और भारी इंजनों के लिए इंजन परीक्षण प्रकोष्ठ(ईटीसी)

ग) एआरएआई, पुणे में दुपहिया, तिपहिया और चौपहिया वाहनों के लिए सील्ड हाउसिंग इवेपारेशन डिटर्मिनेशन(शेड)

घ) एआरएआई, पुणे में चौपहिया वाहनों के लिए वाहन परीक्षण प्रकोष्ठ(वीटीसी)

4. माननीय भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री जी ने 27 अगस्त 2015 को जीएआरसी, नैट्रिप, चेन्नई में पांच सुविधाओं का शुभारंभ किया। इस सुविधाओं के शुभारंभ से, नैट्रिप परियोजना के तहत सृजित और विश्वस्तरीय ऑटो परीक्षण एवं होमोलोगेशन सुविधाएं अब ऑटो उद्योग के लिए उपलब्ध हैं।

5. माननीय भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री जी ने 23 फरवरी, 2016 को आईकैट, मानेसर में नैट्रिप के तहत चार परीक्षण सुविधाओं (i) क्लाइमेट व्हीकल परीक्षण प्रकोष्ठ (सीवीटीसी); (ii) कंप्यूटर एडेड डिजाइन और कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग (सीएडीसीएई); (iii) इंजन परीक्षण प्रकोष्ठ (ईटीसी) ; और (iv) इंफोट्रोनिक्स लैब का शुभारंभ किया।

(ख) हेवी इंजीनियरिंग एवं मशीन टूल्स (एचई एंड एमटी)

6. दिनांक 4-6 अक्तूबर, 2015 तक जर्मन चांसलर के भारत दौरे के दौरान 05 अक्तूबर, 2015 को केपिटल गुड्स के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी संसाधन के लिए सहयोग पर भारी उद्योग विभाग, भारत सरकार तथा फ्रॉनहोफर गेसलसॉफ्ट, जर्मनी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। फ्रॉनहोफर सोसायटी (गेसलसॉफ्ट) जर्मनी का एक विश्व प्रसिद्ध एप्लाइड अनुसंधान संगठन है। भारतीय उद्योग की प्रौद्योगिकी दक्षता और नवाचार को बढाने के माध्यम से "मेक इन इंडिया" के विस्तार में सहायता देना इसका उद्देश्य है। प्रौद्योगिकी साझेदारी के लिए ऐसा ही एक अन्य समझौता ज्ञापन मैसर्स स्टेनबेज, जर्मनी के साथ भी हस्ताक्षर किया गया है।

इसके अतिरिक्त, भारी उद्योग विभाग ने ग्लोबल इन्नोवेशन एंड टेक्नॉलोजी एलायंस(जीआईटीए), विज्ञान और प्रौद्योगी विभाग और सीआईआई द्वारा स्थापित एक प्रौद्योगिकी निकाय के सहयोग से अपना प्रौद्योगिकी अधिग्रहण निधि कार्यक्रम(टीएएफपी) प्रारंभ किया है।

विन इंडिया, हेनोवर मिलानो फेयर्स इंडिया (एचएमएफआई) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित भारत का अग्रणी औद्योगिक और इंजीनियरी व्यापार मेला, भारी उद्योग विभाग की साझेदारी से 9-11 दिसंबर, 2015 को नइ दिल्ली में आयोजित हुआ।

7. मेक इन इंडिया सप्ताह के दौरान दिनांक 15.02.2016 को मुंबई में माननीय भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री जी द्वारा 'राष्ट्रीय केपिटल गुड्स नीति 2016' की औपचारिक घोषणा की गई। उद्योग एवं अंशधारकों से गहन विचार-विमर्श के पश्चात् इन नीति को मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष की गई प्रतिबद्धता को पूरा करने के क्रम में इस नीति का शुभारंभ किया गया। इस नीति में की गई कुछ प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं:-

i) **'मेक इन इंडिया' पहल के साथ एकीकरण करना।**

ii) **"भारी उद्योग निर्यात एवं बाजार विकास सहायता स्कीम (एचआईईएमडीए)" के लिए प्रायोगिक परियोजना के रूप में एक समर्थकारी योजना बनाना**।

iii) **मौजूदा केपिटल गुड्स स्कीम को सुदृढ़ बनाना**।

iv) प्रौद्योगिकी अधिग्रहण के वित्तपोषण के लिए पीपीपी मॉडल के तहत **प्रौद्योगिकी विकास निधि आरंभ करना।**

v) **केपिटल गुड्स सेक्टर के लिए स्टार्ट-अप केन्द्र सृजित करना।**

vi) **अनिवार्य मानकीकरण सुनिश्चित करना**।

vii) **विकास, परीक्षण एवं प्रमाणन अवसंरचना को उन्नत करना।**

viii) **कौशल विकास में वृद्धि करना** केपिटल गुड्स सेक्टर के कौशल विकास के लिए पांच अत्याधुनिक क्षेत्रीय ग्रीनफील्ड उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना करना।

ix) **क्लस्टर अप्रोच के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि के लिए स्कीमें उपलब्ध कराना**।

x) **मौजूदा केपिटल गुड्स विनिर्माता इकाइयों विशेषकर एसएमई को आधुनिक बनाना**।

(ग) केपिटल गुड्स की स्कीमों के लिए आवश्यकता - ₹2000 करोड़ से ₹3000 करोड़

8. **<u>केपिटल गुडस स्कीम के तहत अनुमोदित महत्वपूर्ण परियोजनाएं</u>**

- "मेक इन इंडिया'' के तहत एक पहल के रूप में, आईएमटीएमए के साथ कनार्टक सरकार के सहयोग से तुमकुर में एक विश्वस्तरीय मशीन टूल पार्क स्थापित करने का अनुमोदन किया गया। ₹421 करोड़ की परियोजना लागत आंशिक रूप से भारत सरकार से ₹125 करोड़ की अनुदान सहयता से पूरी की जाएगी। पूर्णत: कार्यान्वित हो जाने पर, यह पार्क से भारतीय मशीन टूल के निर्यात के आयातों/फोरेक्स में समान कमी करते हुए, दुगुना होकर ₹9000 करोड़ का हो जाने की संभावना है।
- मशीन टूल प्रौद्योगिकी के विकास के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास (आईआईटी-एम) में उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना।
- वेल्डिंग प्रौद्योगिकी के विकास हेतु पीएसजी कॉलेज ऑफ टेक्नॉलोजी, कोयंबटूर में में उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना।
- प्रौद्योगिकी अधिग्रहण निधि कार्यक्रम के तहत जर्मनी के मैसर्स फॉनहोपर से एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड द्वारा प्राद्योगिकी सहायता मांगी गई।
- एचईसी द्वारा इलेक्ट्रो स्लेंग रिमेटलिंग, वेल्डिंग, गीयर बॉक्स विनिर्माण और नॉन-डिस्ट्रक्टिव परीक्षण हेतु सामान्य इंजीनियरी सुविधा केन्द्र
- उन्नत शटल लैस लूम के लिए एडवांस्ड प्रौद्योगिकियों के विकास हेतु सीएमटीआई, बेंगलूर में उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना।

- उन्नत टूल, डाई और मोल्ड के लिए टीएजीएमए द्वारा सामान्य इंजीनियरी सुविधा केन्द्र की स्थापना।

(घ) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम:

9. प्रमुख उपलब्धियां:-

- **बीएचईएल** ने भारतीय पॉवर सेक्टर व्यवसाय में लगातार दूसरे वर्ष 72% बाजार हिस्से के साथ पिछले दो वर्षों में सिकुड़ते और अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजार में अपनी अग्रणी स्थिति को बनाए रखा।
- **बीएचईएल** लगातार तीसरे वर्ष 150 जीडब्ल्यू से अधिक विद्युत उत्पादक उपकरणों की स्थापित क्षमता वाली चुनिंदा वैश्विक कंपनियों के इलीट क्लब में शामिल हुआ।
- **बीएचईएल** ने पिछले दो वर्षों के दौरान घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय, दोनों बाजारों को शामिल करते हुए विद्युत और उद्योग सेग्मेंटों में ₹74,541 करोड़ के ऑर्डर प्राप्त किए।
- **बीएचईएल** ने नवगठित तेलंगाना राज्य के साथ 6,000 मेगावाट पावर प्रोजेक्टों के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- **बीएचईएल** ने पिछले दो वर्षों के दौरान कुल 27,000 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट कमीशन/सिंक्रोनाइज किए गए।
- **बीएचईएल** ने एनटीपीसी, बार्ह में कमीशन किया गया स्वदेशी रूप से निर्मित देश का पहला 660 मेगावाट सुपरक्रिटिकल थर्मल सेट और कृष्णपटनम में कमीशन किया गया स्वदेशी रूप से निर्मित देश का पहला 800 मेगावाट सुपरक्रिटिकल बॉयलर विनिर्मित किया।
- **बीएचईएल** ने वर्ष का एक प्रमुख माइलस्टोन कुल 319 मेगावाट के पावर प्लांटों को इथियोपिया, ओमान, रवांडा और सूडान में कमीशन करके प्राप्त किया। वर्ष 2015-16 में बीएचईएल ने बेल्जियम और मोजाम्बिक से पहली बार आर्डर प्राप्त कर नए बाजारों में प्रवेश किया और अपने वैश्विक व्यवसाय का 78 देशों तक विस्तार किया है।
- **बीएचईएल** ने भंडारा, महाराष्ट्र में वर्ष के दौरान एकल वर्ष में एसपीवी 40 मेगावाट पावर के पॉवर प्लांट्स प्रारंभ करके सोलर पीवी विजनेस में एक नया कीर्तिमान कायम किया है। ऐसे समय में जब देश सौर पीवी ऊर्जा के लिए बडे पैमाने की योजना अर्थात 2022 तक 100 जीडब्ल्यू के लिए विचार कर रहा है, घरेलू विनिर्माण आधार के विस्तार के माध्यम से यह विनिर्माण सुविधा महत्व रखती है।
- **बीएचईएल** ने वर्ष के दौरान 736 मेगावाट क्षमता की हाइड्रो परियोजनाएं कमीशन की गईं जो पिछले दस वर्षों में सबसे अधिक हैं।
- **बीएचईएल** ने पिछले पांच वर्षों में सबसे अधिक 43,727 करोड़ रुपए के ऑर्डर बुक किए हैं जो 2014-15 की तुलना में 42% अधिक हैं।
- वर्ष के दौरान **बीएचईएल** ने एक वर्ष में अभी तक सबसे अधिक 477 पेटेंट फाइल और कॉपीराइट फाइल किए, इससे कंपनी की बौद्धिक पूंजी बढ़कर 3,487 हो गई है।
- एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड (**एवाईसीएल)** स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड(**एसआईएल),** इस विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम जो बीआईएफआर के कार्यक्षेत्र में थे, अपनी निवल संपत्ति सकारात्मक हो जाने से इसके कार्यक्षेत्र से बाहर आ गए हैं।
- **एवाईसीएल को** सर्वोत्तम टर्नअराउंड पीएसयू का पीएसई एक्सीलेंस अवार्ड 2014 दिया गया था।

- **एचएमटी (मशीन टूल्स) लिमिटेड** ने परमाणु कचरे के निपटान और युद्धक हथियर ग्रेड का प्लूटोनियम प्राप्त करने के लिए प्रदीप्त परमाणु ईंधन बंडल को छोटे टुकडों में काटने के लिए एक मल्टी ब्लेड शीयरिंग मशीन स्वदेशी रूप से विकसित की। एचएमटी द्वारा विकसित मशीन रेडियो एक्टिव क्षेत्र में कार्य करने के लिए उन्नत विश्वसनीयता प्रदान करने सहित 1300 प्रतिशत अधिक उत्पादकता देते हुए बंडल को एक ही स्ट्रोक में काट देती है।
- मंगोलिया सरकार के अनुरोध पर उलनबटोर में राजीव गांधी स्कूल ऑफ प्रोडक्शन एंड आर्ट (आरजीएसपीए) की मौजूदा सुविधाओं को स्तरोन्नत और आधुनिक बनाने के लिए एचएमटी (इंटरनेशनल) को ₹14.19 करोड़ मूल्य के आर्डर दिए गए हैं।
- स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (**एसआईएल)** ने वर्ष 2014-15 के लिए ₹11.8 करोड़ का कर उपरान्त लाभ दर्ज किया है जो एसआईएल के इतिहास में अधिकतम है।
- इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस (इंडिया) लिमिटेड ने प्रतिष्ठित 'इंजीनियर-3 परियोजना' चरण-I (255 मिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य) ओमान में सफलतापूर्वक पूरी की है। इस परियोजना (कुल मूल्य 470 मिलियन अमरीकी डॉलर) का चरण-II भी ईपीआई को जून, 2015 में प्रदान किया गया। ईपीआई द्वारा प्राप्त किया गया यह अब तक का सबसे अधिक मूल्य का आर्डर है।
- ही, लक्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री जी की उपस्थिति में **एचईसी** और मैसर्स पॉल वुथ के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- ब्रेथवेट, बर्न एंड जेसप कंपनी लिमिटेड (बीबीजे) ने उत्तरी सीमांत रेलवे के लिए पश्चिम बंगाल में तोरशा और जालढाका नदी पर खुले वेब स्टील पुलों, आरवीएनएल के लिए ओडिशा में खाटजोडी नदी पर खुले वेब स्टील पुल, पूर्वी मध्य रेलवे के लिए बिहार में गंडक नदी पर खुले वेब स्टील पुल तथा पूर्वी मध्य रेलवे के लिए मुंगेर, बिहार में गंगा नदी पर 4 किमी लंबे रेल सह सडक पुल का फेब्रिकेशन, इरेक्शन और आपूर्ति का कार्य पूरा कर लिया है। पिछले पुल का उद्घाटन 12.03.2016 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा गया गया था।
- देश की अर्थव्यवस्था में मंदी के बावजूद, सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड(**सीसीआई)** ने पिछले दो वर्षों के दौरान क्षमता का अधिक उपयोग, अधिक उत्पादन और कारोबार किया। हिमाचल प्रदेश के राजबन और असम के बोकाजन स्थित हानि में चल रहे संयंत्र लाभ में चलने लगे हैं।

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का विवेकीकरण और पुनर्गठन

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा दर्ज की गई वृद्धि के अतिरिक्त, भारी उद्योग विभाग अपने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की परिसंपत्तियों का इष्टतम प्रयोग करने का सचेत प्रयास कर रहा है। तद्नुसार, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 5 उद्यमों अर्थात टीएसपीएल, एचएमटी बेयरिंग्स, एचएमटी वाचेज, एचएमटी चिनार वाचेज और हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड के कर्मचारियों को गोल्डन हैंडशेक देने के बाद इन कंपनियों को बंद करने के लिए अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। इससे बेहतर सार्वजनिक प्रयोग के लिए मूल्यवान भूमि आस्तियां मुक्त होंगी। एचईसी, एचपीसी और एचईसी लिमिटेड के लिए पुनर्गठन प्रस्तावों पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

लोक उद्यम विभाग की उपलब्धियां

- लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के संबंध में कारोबार का आबंटन नियमावली **अगस्त, 2015** में संशोधित की गई ताकि डीपीई केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की केपेक्स परियोजनाओं को मॉनीटर कर सके। पहली बार केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के चुनिंदा उद्यमों के केपेक्स का संकलन लोक उद्यम विभाग द्वारा किया जा रहा है। इसके फलस्वरूप, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम अवसंरचना परियोजनाओं पर बेहतर खर्च कर पा रहे हैं। इसके अलावा, डीपीई ने वर्ष 2016-17 के लिए समझौता ज्ञापन दिशा-निर्देशों में केपेक्स/निवल मूल्य बढ़ाने हेतु उच्चतर महत्व (15-20) निर्धारित किया है।
- केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण उद्यमों के लिए क्रियाविधि को सरल एवं कारगर बनाने के लिए, लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) को **9 नवंबर, 2015** को बंद कर दिया गया है। लोक उद्यम विभाग ने "रुग्ण/प्रारंभ से ही रुग्ण तथा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के कमजोर उद्यमों के पुनरुद्धार और पुनर्गठन हेतु क्रियाविधि को सरल एवं कारगर बनाना: पुनर्गठन के सामान्य सिद्धांत तथा क्रियाविधि" के लिए दिशानिर्देश 29.10.2015 को जारी कर दिए हैं जिनका अनुपालन प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा समयबद्ध तरीके से उनके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के पुनरुद्धार/पुनर्गठन अथवा उनको बंद करने के प्रस्ताव तैयार करते समय किया जाना है। पहली बार सरकार केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उन उद्यमों की पहचान करेगी जिनकी रुग्ण होने की प्रवृत्ति है। लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों में 'कमजोर सीपीएसई' की एक नई श्रेणी शुरू की गई है ताकि इससे पहले कि केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम रुग्ण/प्रारंभ से ही रुग्ण बनें, उनकी पहचान शुरुआती चरण में ही की जा सके।
- निदेशक मंडलों के कार्पोरेट अभिशासन/व्यावसायीकरण पर ज्यादा बल दिया गया है। (क) जांच समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गईं और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उद्यमों में गैर-सरकारी निदेशकों के 231 पदों को भरने की सिफारिश की गई। (ख) सीपीएसई (बीआईआरएसी, एयर इंडिया लिमिटेड, पवन हंस लिमिटेड और भारत पेट्रो रिसोर्सिस लिमिटेड) के निदेशक मंडल में पूर्णकालिक निदेशकों के 9 पद उनके कामकाज में सुधार लाने के लिए सृजित किए गए। (ग) इसके अलावा, लोक उद्यम विभाग ने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के गैर-सरकारी और सरकारी निदेशकों की क्षमता वृद्धि हेतु चार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। प्रतिभागियों को हाल ही में अधिनियमित कंपनी अधिनियम, 2013 तथा निदेशक मंडल के कामकाज से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों के परिप्रेक्ष्य में उनकी भूमिका और दायित्वों के प्रति संवेदनशील बनाया गया।
- केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निष्पादन मूल्यांकन के लिए समझौता ज्ञापन प्रणाली के संबंध में संशोधित दिशानिर्देश **31.12.2015** को जारी कर दिए गए हैं। लाभप्रदता और कार्यकुशलता के मापन के लिए क्षमता उपयोग, प्रचालन से राजस्व, प्रचालनों से राजस्व की प्रतिशतता के रूप में प्राप्त होने वाले व्यापार, उत्पादों की बिक्री की प्रतिशतता के रूप में माल सूची जैसे परिणाम अभिमुखी (न कि प्रक्रिया अभिमुखी) पैरामीटरों पर बल दिया गया है।
- कंपनी अधिनियम, 2013, जिसके अनुसार कंपनियों को अपने अर्जित लाभ की 2% राशि कार्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) क्रियाकलापों पर अनिवार्यतः खर्च करनी होती है, के अधिनियमन के पश्चात् पहली बार लोक उद्यम विभाग ने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के सीएसआर कार्यकलापों को मॉनीटर करना आरंभ किया है। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 127 उद्यमों के संबंध में उपलब्ध सूचना के अनुसार केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के इन 127 उद्यमों के वर्ष 2014-15 औसत कर-पूर्व लाभ (पीबीटी) की 2% राशि ₹3492.29 करोड़ बैठती है। इसकी तुलना में 2014-15 में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के इन 127 उद्यमों द्वारा सीएसआर पर लगभग कुल ₹2450.23 करोड़ व्यय किया गया है।

- न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन के उद्देश्य से, पुराने/अप्रचलित बीपीई/डीपीई दिशानिर्देशों का विवेकीकरण लगभग ऐसे 635 दिशानिर्देशों की समीक्षा करने के पश्चात् कर दिया गया है। 320 दिशानिर्देशों का एक संशोधित संकलन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और उनके संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के लाभ के लिए **जनवरी, 2016** में प्रकाशित कर दिया गया है। यह संकलन तकरीबन 10 वर्षों के अंतराल के बाद प्रकाशित किया गया और यह लोक उद्यम विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- लोक उद्यम विभाग ने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निष्पादन पर लोक उद्यम सर्वेक्षण प्रकाशित करता है जो प्रत्येक वर्ष बजट सत्र के दौरान संसद में प्रस्तुत किया जाता है। मौजूदा (55वां सर्वेक्षण) लोक उद्यम सर्वेक्षण 2014-15 संसद के दोनों सदनों में 26.02.2016 को प्रस्तुत किया गया। लोक उद्यम सर्वेक्षण 2013-14 भी संसद के दोनों सदनों में 26.02.2015 को प्रस्तुत किया गया था।
- 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, लोक उद्यम विभाग राज्य स्तर के लोक उद्यमों में कार्यपालकों के कौशल विकास/प्रशिक्षण के संबंध में योजना स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। स्कीम के अंतर्गत राज्य स्तर के लोक उद्यमों के कार्यपालकों के ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि के लिए विभिन्न विषयों पर प्रबंधन विकास कार्यक्रम आईआईआईएम, आईआईटी, आईआईपीए, दिल्ली आदि जैसे विभिन्न उत्कृष्टता केन्द्रों पर आयोजित किए जाते हैं। वर्ष 2015-16 के दौरान, 9 प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना बनाई गई और सफलतापूर्वक इनका आयोजन किया गया जिसके अंतर्गत उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों से राज्य स्तरीय उद्यमों के 275 कार्यपालक लाभान्वित हुए हैं। 2014-15 के दौरान, उपर्युक्त स्कीम के अंतर्गत सात प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे जिनमें राज्य स्तर के लोक उद्यमों से 237 कार्यपालकों ने भाग लिया था।
- सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से संबंधित जेनरिक मुद्दों पर लोक उद्यम विभाग की अनुसंधान विकास एवं परामर्शी योजना स्कीम (आरडीसी) के अंतर्गत वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान निम्नलिखित कार्यशालाओं का आयोजन किया गया जिनमें केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और राज्य स्तर के लोक उद्यमों के लगभग 200 कार्यपालकों ने भाग लिया।

वर्ष 2015-16 के दौरान आयोजित कार्यशालाएं

क्र.सं.	संस्थान	विषय	स्थान	तारीख
1	इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेंट ऑफ इंडिया (आईसीएआई)	कंपनी अधिनियम 2013 - सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निहितार्थ	नई दिल्ली	04.09.2015
2	आईसीडब्ल्यूएआई मैनेजमेन्ट अकाउन्टिंग रिसर्च फाउन्डेशन	इन्टरनेशनल फाइनेन्शियल रिपोर्टिंग स्टैडर्ड्स (आईएफआरएस) और इंडियन अकाउन्टिंग स्टैन्डर्ड्स (आईएनडी एएस)	नई दिल्ली	22.09.2015

वर्ष 2014-15 के दौरान आयोजित कार्यशालाएं

क्र.सं.	संगठन	विषय	स्थान	तारीख
1	एनईईपीसीओ	राज्य स्तर के लोक उद्यमों में समझौता ज्ञापन प्रणाली पर कार्यशाला	शिलांग	01.09.2014
2	हिमाचल प्रदेश सरकार	राज्य स्तर के लोक उद्यमों में समझौता ज्ञापन प्रणाली पर कार्यशाला	शिमला	29.09.2014

- विभाग भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण के प्रतिवेदनों को संसद के पटल पर प्रस्तुत करता है और लेखापरीक्षा पैराओं पर की गई कार्रवाई टिप्पणियां (एटीएन) लोक उद्यम समिति तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को प्रस्तुत की गई हैं या नहीं, इसके लिए प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों की भी जांच करता है। वर्ष 2015-16 के दौरान, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट यथा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सामान्य प्रयोजन वित्तीय रिपोर्ट 2015 की संख्या 2 (अनुपालन लेखापरीक्षा) संसद में 05.05.2015 को प्रस्तुत की गई थी और रिपोर्ट सं. 21 (खंड I और II) संसद में क्रमशः 30.07.2015 (राज्य सभा) और 31.07.2015 (लोक सभा) को प्रस्तुत की गई थी।

  इसी प्रकार, वर्ष 2014-15 में, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट यथा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सामान्य प्रयोजन वित्तीय रिपोर्ट 2014 की संख्या 2 (अनुपालन लेखापरीक्षा) और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट 2014 की संख्या 13 (अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियां) संसद में 01.08.2014 को प्रस्तुत की गई थी।
- सरकार ने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कार्यपालकों तथा यूनियनों से इतर पर्यवेक्षकों के लिए 01.01.2017 से वेतनमानों में संशोधन के लिए 09.06.2016 के संकल्प के द्वारा न्यायमूर्ति सतीश चन्द्र की अध्यक्षता में तीसरी वेतन संशोधन समिति (पीआरसी) का गठन किया है।

*****